भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 451
जिसका उत्तर सोमवार, 2 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक) को दिया गया

किसानों और छोटे व्यापारियों पर ऋण का बोझ

451. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:
श्री जय प्रकाश:
श्री नलिन सोरेन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हरियाणा और झारखंड में किसानों, छोटे व्यापारियों और आम परिवारों पर ऋण का बोझ लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण वे ऋण के जाल में फंसते जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली में सख्ती और अनौपचारिक साहूकारों का बढ़ता प्रभाव सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2019 से अब तक हरियाणा और झारखंड के दुमका में कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संबंधी ऋणों और व्यक्तिगत ऋणों में कुल कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा ऋण के जाल से राहत प्रदान करने के लिए ब्याज राजसहायता, पुनर्संरचना या ऋण संबंधी परामर्श जैसी कोई विशेष योजना आरंभ की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) राज्य में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और वैध तरीके से ऋणों का संवितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या कार्य-योजना है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): भारत सरकार ने औपचारिक और वहनीय संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए कई पहलें की हैं, जिससे अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता कम करने और उधारकर्ताओं पर ऋण के बोझ को कम करने में सहायता मिली है। इस तरह का ऋण उधारकर्ताओं को पूंजीगत व्यय, कार्यशील पूंजी और आवश्यक व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाता है, जिससे आजीविका में वृद्धि और उत्पादकता में सहायता मिलती है। इसके अलावा, वित्तीय संस्थानों द्वारा पात्रता, मूल्यांकन संबंधी आवश्यकताओं और सूचित सहमति के अनुसार ऋण दिया जाता है, जिससे जिम्मेदारीपूर्ण ऋण और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित होता है। बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और संबंधित बैंकों के बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार की जाती है। हरियाणा और झारखंड की राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बैंकों द्वारा अवैध वसूली पद्धतियों की कोई घटना सूचित नहीं की गई है।

हरियाणा राज्य और झारखंड के दुमका जिले में वर्ष 2019 से बकाया कृषि, एमएसएमई और व्यक्तिगत ऋण से संबंधित डेटा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): सरकार ने वित्त के औपचारिक और वहनीय स्त्रोतों तक पहुंच को बढ़ावा देकर, मुख्यत किसानों के ऋण भार को कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे कृषि आदानों की खरीद के साथ-साथ फसल उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय पर और किफायती ऋण प्रदान करता है। 2019 में, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को कवर करने के लिए केसीसी योजना का विस्तार किया गया था।
- भारत सरकार की संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (एमआईएसएस) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करती है, जिसमें बैंकों को 1.5% ब्याज अनुदान मिलता है। वे किसान जो तुरंत ऋण चुकाते हैं, उन्हें अतिरिक्त 3% प्रोत्साहन मिलता है, जिससे उनकी ब्याज दर प्रभावी रूप से घटकर केवल 4% हो जाती है।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 01 जनवरी 2025 से संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण सहित संपार्श्विक मुक्त अल्पकालिक कृषि ऋणों की सीमा 1.60 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.00 लाख रुपये प्रति उधारकर्ता कर दी गई है। यह उपाय विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों (क्षेत्र का 86% से अधिक) के लिए ऋण पहुंच को बढ़ाता है, जो कम उधार लेने की लागत और संपार्श्विक आवश्यकताओं को हटाने से लाभान्वित होते हैं।
- किसानों के बीच केसीसी योजना के लाभों के संबंध में जागरूकता लाने के लिए, केंद्र/राज्य सरकारें, आरबीआई, नाबार्ड और बैंक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) अभियान आयोजित करते हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने सभी पात्र किसानों को केसीसी प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केसीसी संतृप्ति अभियान शुरू किया। इसके अलावा, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (एएचडीएफ) में संलग्न सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लाभों का विस्तार करने के लिए राष्ट्रव्यापी जिला स्तरीय साप्ताहिक शिविर भी आयोजित किए गए।
- वित्तीय साक्षरता केन्द्र (सीएफएल), वित्तीय साक्षरता शिविरों (एफएलसी) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं जो क्रमश भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक देश भर में जनता के बीच विभिन्न विषयों पर वित्तीय शिक्षा के संदेश का प्रचार करने के लिए प्रत्येक वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) भी आयोजित करता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकों को ऋण पुनर्गठन, एकमुश्त निपटान, समझौता निपटान आदि जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से संकटग्रस्त उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों पर 17 अक्टूबर, 2018 को मास्टर निर्देश जारी किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा ऋणों के पुनर्गठन का प्रावधान है।

अनुबंध

"किसानों और छोटे व्यापारियों पर ऋण का बोझ" के संबंध में दिनांक 2.2.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 451 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

कृषि, एमएसएमई और बकाया वैयक्तिक ऋणों का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष के अंत की तिथि तक	**हरियाणा-राज्य**			**झारखंड-दुमका जिला**		
	कृषि	**एमएसएमई**	**वैयक्तिक ऋण**	**कृषि**	**एमएसएमई**	**वैयक्तिक ऋण**
31 मार्च 2019	65310	67518	-	749.42	-	-
31 मार्च 2020	65983	68838	-	795.94	524.98	-
31 मार्च 2021	68205	70234	-	369.04	639.16	-
31 मार्च 2022	75559	95070	-	443.33	432.71	285.52
31 मार्च 2023	83687	116994	18241	471.20	465.05	102.83
31 मार्च 2024	91464	147002	22552	570.09	548.70	133.10
31 मार्च 2025	97043	174027	27481	669.38	659.33	139.54
30 सितंबर 2025	99471	194174	29255	718.52	727.03	144.94

स्रोत: एसएलबीसी, हरियाणा और एसएलबीसी, झारखंड